– : कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर :–

: : आदेश : :

यह है कि श्री प्रभुलाल कारपेन्टर, तत्का. पीईईओ/प्रधानाचार्य राउमावि मनपसर, मनोहरथाना, झालावाड़ के विरूद्ध एक विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए समसंख्यक आदेश दिनांक 27.07.2025 द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया । श्री प्रभुलाल कारपेन्टर, तत्का. पीईईओ/प्रधानाचार्य राउमावि मनपसर, मनोहरथाना, झालावाड़ वर्तमान निलम्बित के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन दिनांक 07.10.2025 द्वारा आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। श्री प्रभुलाल कारपेन्टर, पीईईओ/प्रधानाचार्य राउमावि मनपसर, ब्लाक–मनोहरथाना जिला–झालावाड़ के पद पर दिनांक 01.05.2025 से 28.07.2025 तक कार्यरत अवधि के दौरान इनके द्वारा पीईईओ क्षेत्र के अधीन संचालित राउप्रावि–पिपलोदी का प्रति माह शाला संबलन के अन्तर्गत विधालय का निरीक्षण करने के बावजूद भी विधालय की भौतिक स्थिति का भली प्रकार निरीक्षण नहीं कर पर्यवेक्षणीय कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतते हुए विधालय भवन के क्षतिग्रस्त होने की भौतिक स्थिति की सूचना समय पर उच्चाधिकारियों को प्रेषित नहीं की गई। जिसके कारण दिनांक 25.07.2025 को राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, पिपलोदी भवन की छत और दीवार गिरने से विधालय के 07 मासूम विधार्थियों की दुखद मृत्यु हो गई व 21 विधार्थी गम्भीर रूप से घायल हो गये । इस दुखद हादसे में श्री प्रभुलाल कारपेन्टर पीईईओ की विधालय निरीक्षण में लापरवाही दृष्टिगोचर हुई है। अतः श्री प्रभुलाल कारपेन्टर, पीईईओ/प्रधानाचार्य को पर्यवेक्षणीय कार्य में घोर लापरवाही व उदसीनता बरतने एवं राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम 3(1)(i), 3(1)(ii), 3(2)(i) एवं 3 (2)(ii) का उल्लंघन करने के आरोप से आरोपित किया गया।

श्री प्रभुलाल कारपेन्टर द्वारा आरोप के संबध में अभिकथन प्रस्तुत कर लिखा गया कि '' मेरे लगभग एक माह के कार्यकाल में राउप्रावि पिपलोदी का मेरे द्वारा समयाभाव के कारण अवलोकन नहीं किया जा सका, परन्तु मेरे द्वारा संस्था प्रधान को विभागीय सूचनाऐं विधालय के भवन एवं भौतिक स्थिति के तहत जीर्ण शीर्ण भवन एवं कक्षा कक्षों में छात्रों को नहीं बिठाया जावें, दिनांक 01.05.2025 एवं 05.07.2025 को ही पीईईओ वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रसारित की जा रही थी। पिपलोदी के संस्था प्रधान के द्वारा भी बताया गया है कि विधालय भवन बाह्य रूप से सुरक्षित दिखाई देता था, स्टॉफ के सदस्यों द्वारा भी बताया गया है कि भवन एवं घटना घटित कक्षा कक्ष पूरी तरह से सुरक्षित था, उसमें दरारे नहीं थी, बरसात का पानी नहीं टपकता था। विधालय भवन की तकनीकी जांच का उत्तरदायित्व संबधित अभियंता का होता है, भवन की तकनीकी जांच मेरे क्षेत्र में नहीं आती है। दुर्भाग्यवश प्राकृतिक आपदा से राउप्रावि पिपलोदी के कक्षा कक्ष की पिछली दिवार गिर गई, जिससे यह दुर्घटना घटित हुई, जिसका कारण भवन की पुरानी संरचना एवं निरन्तर होने वाली भारी वर्षा के कारण यह घटना आकस्मिक एवं प्राकृतिक घटना थी। यह घटना मेरे लिये अत्यन्त

RajKaj Ref No.:
21615753
eSign DSC

पीड़ादायक रही है। अतः मेरे ऊपर लगाये गये आरोप तथ्यहीन, निराधार, बेबुनियाद एवं तकनीकी रूप से असंगत है। मेरा सेवाभिलेख, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और उस समय की प्रतिकूल परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे दोषमुक्त करने की कृपा करें। ''

प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु समसंख्यक आदेश दिनांक 03.11.2025 द्वारा संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया कि प्रकरण में अपचारी श्री प्रभुलाल कारपेंटर के पीईईओ मनपसर की प्रधानाचार्य के पद पर कार्यकाल 01.05.2025 से 28.07.2025 घटना घटने तक 2 महीने व 25 दिन रहा है। विभाग के द्वारा जर्जर भवन की सूचना मांगी जाने पर अपचारी द्वारा सूचना नहीं दी गयी, न ही पीईईओ परिक्षेत्र में पिपलोदी की सूचना जर्जर भवन के रूप में दी गई। वर्षाकाल से पहले भवनों की सुरक्षा जांच के बारे में जानकारी मांगी जाने पर भी पिपलोदी स्कूल के भवन की भौतिक स्थिति के बारे में अवगत नहीं करवाया गया। अभियोजन पक्ष के गवाह अपने बयानों में कथन किया है कि अपचारी ने अपने कार्यकाल 01.05.2025 से हादसा होने की दिनांक 25.07.2025 के दौरान अपने अधीनस्थ विद्यालय राउप्रावि पिपलोदी ब्लॉक मनोहरथाना जिला–झालावाड का सम्बलन/निरीक्षण किया गया। इस सम्बलन/निरीक्षण के दौरान उन्होने एक बार भी इस विद्यालय के भवन का भौतिक निरीक्षण नहीं किया। इस विद्यालय भवन का जो हिस्सा–कक्ष हादसा दिनांक 25.07.2025 को गिरा इससे कक्ष की पीछे की दिवार इंटो की थी। जिसे मिटटी से चुना गया था। छत के पानी की निकासी के पाईप भी टूटकर दीवार के समानान्तर हो गये थे। जिनका पानी दीवार पर गिरकर उसमे ही रम रहा था। जिसके कारण दीवार कमजोर होकर गिर गई और इस हादसे में सात विद्यार्थियो की मृत्यु हई एवं 21 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुऐ। प्रारंभिक जाँच में यह पाया कि गिरने वाले भवन की पीछे की दीवार ईंट की थी. जिस पर प्लास्टर भी नहीं था। नींव में पानी का जाना, पेड़ आदि उगना भी हादसे का कारण रहा। इस भवन की कुछ वर्षों पूर्व मरम्मत हुई थी व पट्टियों पर आरसीसी की गई थी। पट्टियों एवं RCC का वजन, जिस लेंटर पर था, वह ईंटों की दीवार पर था जिस पर प्लास्टर भी नहीं था। कनिष्ठ अभियंता जिला झालावाड ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 25.07.2025 को UPS पीपलोदी विद्यालय गिरकर 7 बच्चों की दुखःद मृत्यु एवं 21 छात्र गंभीर घायल हो गए। उक्त विद्यालय से कभी कोई मरम्मत का प्रस्ताव नहीं आया और न ही कोई मौखिक रूप से कहा गया, इस कारण J-En. व A-En. द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया। यदि प्रस्ताव आ जाता तो हम उच्च अधिकारी (राज्य स्तर) पर भिजवाकर स्वीकृत करवाते या भवन गिराने लायक होता तो जर्जर भवन को गिराने के प्रस्ताव लेकर निराकरण करते। प्रकरण में अपचारी श्री प्रभु लाल कारपेन्टर प्रधानाचार्य/पीईईओ कार्यकाल के दौरान भवन की जर्जर अवस्था एवं सक्रिय मानसून के संबंध में शासन एवं विभागीय अधिकरियों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की समय–समय पर पालना नहीं की गयी। जिससे मानसून के दौरान अतिवृष्टि एवं भवन के जर्जर स्थिति में होने के कारण दिनांक 25.07.2025 के दुखद हादसे में 07 बच्चों की अकाल मृत्यु एवं 21 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुये। अपचारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के प्रति घोर

RajKaj Ref No.:
21615753
eSign DSC

लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा गवाहों के बयानों में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अपचारी श्री प्रभु लाल कारपेन्टर तत्कालीन प्रधानाचार्य/पीईईओ राउमावि मनपसर (ब्लॉक मनोहरथाना) जिला झालावाड वर्तमान निलंबित के विरूद्ध आरोप संख्या 01 पर्यवेक्षणीय कार्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने एवं राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम 3(1)(i), 3(1)(ii), 3(2)(i) एवं 3(2)(ii) का उल्लंघन करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

जांच रिपोर्ट की प्रति श्री प्रभुलाल कारपेन्टर को प्रेषित कर उनका जांच रिपोर्ट पर अभ्यावेदन चाहा गया। श्री प्रभुलाल कारपेन्टर द्वारा जांच रिपोर्ट पर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर लिखा गया कि '' उक्त घटना के लिये सरपंच ग्राम पंचायत मनपसर, जिन्होने तत्कालीन पीईईओ, संस्था प्रधान को बिना सूचना, बिना अनुमति के घटिया मरम्मत कार्य किया, जिसकी तत्कालीन पीईईओ श्री राधेश्याम मीना जिन्होने अपने 3 साल के लम्बे कार्यकाल में भी उक्त सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं दी, संस्था प्रधान श्रीमती मीना गर्ग, राउप्रावि पिपलोदी जिन्होने विधालय की मरम्मत की सूचना प्रार्थी व उच्चाधिकारियों को नहीं दी, इसके लिये जिम्मेदार भी उक्त तीनो ही है। अतः उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी आरोपित घटना का किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त समस्त आरोप निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा अपने अल्पकालीन कार्यकाल में पूर्ण जिम्मेदारी, मुस्तेदी से राजकार्य के प्रति सजगता रखते हुए अपने कार्य को अंजाम दिया है। प्रार्थी की अधिवार्षिकी आयु 31.05.2026 को पूर्ण हो रही है। उक्त समस्त आरोप असत्य व निराधार है, प्रार्थी को उक्त आरोपों से मुक्त कर सीसीए–16 कार्यवाही समाप्त करने के आदेश पारित करवायें। ताकि प्रार्थी अपना बुढ़ापे का जीवन सुख–शांती से व्यतीत कर सके। ''

श्री प्रभुलाल कारपेन्टर को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिनांक 15.04.2026 को व्यक्तिगत रूप से सुना गया । वक्त सुनवाई में श्री प्रभुलाल कारपेन्टर द्वारा कथन किया गया कि '' .मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की भली प्रकार पालना की गई है। विधालय निरीक्षण भी किये है एवं शेड्यूल अनुसार कार्य किया था, अन्य सभी विभागीय अधिकारियों के आदेशों की पूर्ण पालना की गई है। उक्त अवधि में अति अल्प कार्य अवधि में भी मेरे द्वारा पर्यवेक्षणीय कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही नहीं बरती गई। ''

वक्त सुनवाई में प्रस्तुत तथ्यों एवं पत्रावली के गहन अध्ययन, अवलोकन तथा विश्लेषण उपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि श्री प्रभुलाल कारपेन्टर, पीईईओ/प्रधानाचार्य राउमावि मनपसर, मनोहरथाना, झालावाड़ द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान भवन की जर्जर अवस्था एवं सक्रिय मानसून के संबध में शासन एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की समय पर पालना नहीं की गई। विभाग के द्वारा जर्जर भवन की सूचना मांगी जाने पर श्री कारपेन्टर द्वारा सूचना नहीं दी गयी, न ही पीईईओ परिक्षेत्र में पिपलोदी की सूचना जर्जर भवन के रूप में दी गई। वर्षाकाल से पहले भवनों की सुरक्षा जांच के बारे में जानकारी मांगी जाने पर भी पिपलोदी स्कूल के भवन की भौतिक स्थिति के बारे में अवगत नहीं करवाया गया। श्री प्रभुलाल कारपेन्टर, पीईईओ द्वारा अपने कार्यकाल 01.05.2025 से हादसा होने की दिनांक 25.07.2025 के दौरान अपने

RajKaj Ref No.:
21615753
eSign DSC

अधीनस्थ विद्यालय राउप्रावि पीपलोदी ब्लॉक मनोहरथाना जिला–झालावाड (राजस्थान) का सम्बलन/निरीक्षण किया गया। इस सम्बलन/निरीक्षण के दौरान श्री कारपेन्टर द्वारा विद्यालय भवन का भौतिक निरीक्षण नहीं कर पर्यवेक्षणीय कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतते हुए विधालय भवन के क्षतिग्रस्त होने की भौतिक स्थिति की सूचना समय पर उच्चाधिकारियों को प्रेषित नहीं की गई। जिससे मानसून के दौरान अतिवृष्टि एवं भवन के जर्जर स्थिति में होने के कारण दिनांक 25.07.2025 के दुखद हादसे में 07 बच्चों की अकाल मृत्यु हुई एवं 21 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। श्री प्रभुलाल कारपेन्टर, पीईईओ/प्रधानाचार्य द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाना पूर्णतयाः प्रमाणित होता है। श्री कारपेन्टर पर अधिरोपित आरोप पूर्णतयाः प्रमाणित होते है। श्री प्रभुलाल कारपेन्टर, प्रधानाचार्य दिनांक 31.05.2026 को सेवानिवृत होने जा रहे है। अतः एतद द्वारा श्री प्रभुलाल कारपेन्टर, प्रधानाचार्य की दो (02) वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्याहारित (Withdraw) किये जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। श्री प्रभुलाल कारपेन्टर, प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाता है एवं इनकी निलम्बन अवधि सेवा योग्य मानी जावेगी तथा निलम्बन अवधि के समस्त परिलाभ देय होंगे।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि.निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

क्रमांकः – शिविरा/माध्य/वि0 जॉच/11186/P-207/2025/**ई–41737** दिनांकः–**यथा हस्ताक्षर**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु : –

1. संयुक्त निदेशक, (कार्मिक) संस्थापन ए–बी अनुभाग, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित कर लेख कि उक्त आदेश संबधित को सर्व करवाकर प्रमाणित पावती प्रेषित करावें एवं उक्त दण्डादेश की प्रविष्टि संबधित की सेवा पुस्तिका में करवा कर प्रमाण सहित सूचित करें।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या) मा–झालावाड़ ।
5. मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, मनोहरथाना झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दण्डादेश की प्रविष्टि संबधित की सेवा पुस्तिका में कर प्रमाण सहित सूचित करें।
6. स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. अनुभाग अधिकारी, डीपीसी/एसीआर/शाला दर्पण अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. श्री प्रभुलाल कारपेन्टर, प्रधानाचार्य **द्वारा** संयुक्त निदेशक, (कार्मिक) संस्थापन ए–बी अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
9. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :15-04-2026 07:44:37

RajKaj Ref No.: 21615753
eSign DSC